भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2222
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

महिला कर्मचारियों हेतु तनाव प्रबंधन संबंधी उपाय

2222. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च तनाव वाले माहौल में कार्यरत महिलाओं में चिंता/कार्य-संबंधी तनाव के बढ़ते स्तर से अवगत है;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं, कार्यस्थल संबंधी लचीली नीतियों और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों सहित प्रभावी तनाव प्रबंधन कार्यनीतियों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय/कार्यक्रम लागू किए गए हैं/लागू किए जाने का विचार है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तनावपूर्ण कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): "सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता; अस्पताल एवं औषधालय" को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में रखा गया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। तदनुसार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों, सामुदायिक देखरेख एवं पुनर्वास के प्रावधान एवं प्रदायगी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

तथापि, भारत सरकार राज्य सरकार का सहयोग करती है और इसने एक व्यापक, बहुआयामी और समन्वित व्यवस्था स्थापित की है जो अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख, टेली-मानसिक स्वास्थ्य सुविधा, आघात-सूचित मनोसामाजिक सहायता, वैधानिक कार्यस्थल सुरक्षा, नियोक्ता-नेतृत्व वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य उपाय, लैंगिक-संवेदनशील कानून प्रवर्तन इंटरफेस और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमों को परस्पर जोड़ती है ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच तनाव को रोका जा सके, कम किया जा सके और प्रबंधित किया जा सके।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्पीड़न की रोकथाम, लैंगिक संवेदनशीलता, कार्मिक प्रबंधन और प्रशासनिक रूप से संभव होने पर लचीली कार्य व्यवस्थाओं संबंधी निर्देश एवं दिशानिर्देश जारी करने वाला नोडल विभाग है। जागरूकता अभियान, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जैसे उपाय सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने और उत्पीड़न से संबंधित तनाव को कम करने में सहायक होते हैं।

केंद्र सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की सहायता के लिए कई पहल की हैं। इनमें महिला हेल्पलाइन - 181, बाल हेल्पलाइन - 1098 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जैसी हेल्पलाइनों का संचालन, नए आपराधिक कानूनों के तहत जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर की अवधारणा तथा उत्तरजीवियों को संस्थागत सहायता प्रदान करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 एक ऐसा अधिनियम है जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं प्रदान करने तथा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख और सेवाओं की प्रदायगी के दौरान तथा इससे संबंधित या आकस्मिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पूर्ति करता है। यह अधिनियम आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, जिससे यह पता लगता है कि गंभीर तनावग्रस्त व्यक्तियों को दंडात्मक कार्रवाई के बजाय देखरेख और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, और इसमें सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन तथा निगरानी तंत्र का प्रावधान है।

मानसिक विकारों के बोझ को कम करने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक

स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में अन्य बातों के अलावा, बाह्य रोगी सेवाएं, जांच, परामर्श/मनोसामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को निरंतर देखरेख और सहायता, दवा की सुविधा, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास कर रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) के लिए विभिन्न विभागों हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई हैं।

एनएमएचपी के तृतीयक देखरेख घटक के अंतर्गत मानव संसाधन विकास योजना-क के तहत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानव संसाधन विकास योजना-ख के तहत मानसिक स्वास्थ्य विशेषता में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता दी है।

देश में सरकार द्वारा संचालित 47 मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं। सभी 'एम्स' में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" आरंभ किया है। दिनांक 27.11.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली-मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर

20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 29,82,000 से अधिक कॉल का जवाब दिया जा चुका है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी आरंभ किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जिसमें तंदुरुस्ती से लेकर मानसिक विकार तक शामिल हैं, के लिए सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, टेली-मानस के तहत मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सेवा के उन्नत संस्करण के रूप में वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की गई है।

यह जानते हुए कि लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और असुरक्षा महिलाओं में मनोवैज्ञानिक आघात और दीर्घकालिक तनाव के प्रमुख कारण हैं, सरकार ने तत्काल सुरक्षा, समग्र सहयोग और दीर्घकालिक पुनर्वास प्रदान करने के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं। मिशन शक्ति व्यापक योजना का वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) घटक, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित विभिन्न एकीकृत सेवाएं भी प्रदान करता है। देश भर में 864 ओएससी कार्यशील हैं और 30 सितम्बर, 2025 तक 12.67 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 14,649 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 14,653 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं।

जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न आपात स्थितियों के लिए क्षेत्र/पुलिस संसाधनों के कंप्यूटर की सहायता प्राप्त प्रेषण है। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने वाली विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के अंतर्गत 'सामर्थ्य'

योजना का संचालन करता है जिसमें शक्ति सदन का एक घटक कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए हैं जिसमें मनो सामाजिक परामर्श भी शामिल है।

मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' आरंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना और विभिन्न योजनाओं तथा कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

जहां महिलाएं कार्य करती हैं एवं रहती हैं उन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत सुरक्षित शहर परियोजनाओं को 8 शहरों (अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में कार्यान्वित किया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे रेल मंत्रालय द्वारा एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), और ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं लागू की गई हैं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों,अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने 'पुलिस स्टेशनों में स्थापित महिला सहायता डेस्क को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने एवं अपराध पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और अभिवृति संबंधी कौशलों पर बल दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी –

बॉक्स पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल देश भर में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दी जाएंगी। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है, जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना होता है।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चार श्रम संहिताएं - मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 को दिनांक 21 नवंबर 2025 से कार्यान्वित किया गया है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

व्यावसायिक और निवारक स्वास्थ्य के संबंध में, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) संहिता, 2020 के तहत, कार्यस्थल पर समानता और सुरक्षा को सुदृढ़ कानूनी सहारा दिया गया है। लैंगिक भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक संस्थान में महिलाओं और पुरुषों के साथ समान रूप से गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता है और अवसर दिया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी के माध्यम से इस सिद्धांत को सुदृढ़ किया गया है, जिससे वेतन असमानताओं को समाप्त किया जा सके और सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। एक प्रगतिशील पहल के तहत, महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में और रोजगार की सभी श्रेणियों में कार्य करने की अनुमति दी गई है, जिसमें भूमिगत खनन और भारी मशीनरी संचालन शामिल हैं, बशर्ते वे अपनी पूर्व सहमति दें और नियोक्ता पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करें।

श्रमिकों के स्वास्थ्य और उत्पादकता की सुरक्षा करने के उद्देश्य से इस संहिता में सामान्य कार्य घंटों को प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे तक सीमित किया गया है। सभी श्रमिकों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को केवल उनकी सहमति से ही ओवरटाइम करने की अनुमति दी गई है और इसके लिए उन्हें नियमित वेतन दर से दोगुना भुगतान किए जाने को अनिवार्य बनाया गया है। निवारक स्वास्थ्य देखरेख पर जोर देते हुए, इस संहिता में नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई कि वे महिला श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान करें और उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखें, बशर्ते वे

निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। ये सभी प्रावधान श्रमिक अधिकारों को औपचारिक रूप देते हैं, समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को भारत के श्रम सुधारों का आधार बनाते हैं।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यस्थल संबंधी तात्कालिक उपायों के अलावा, सरकार महिलाओं में तनाव के संरचनात्मक कारणों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण और तनाव को सहन करने की क्षमता विकसित करने को एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में अपनाती है। स्किल इंडिया और विभिन्न आजीविका एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के तहत की गई पहल महिलाओं की रोजगार क्षमता, आय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं, जिससे वित्तीय असुरक्षा से संबंधित तनाव कम होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक अभियान और प्रमुख कार्यक्रम बालिकाओं और महिलाओं की लैंगिक समानता और सामाजिक मान्यता को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक बोझ के मूल कारणों को दूर करते हैं। वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म ऋण, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का समन्वय आर्थिक लचीलापन विकसित और दीर्घकालिक तनाव को कम करने के लिए अपनाए गए अन्य साधन हैं।

उपर्युक्त केंद्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ घनिष्ठ समन्वय में किया जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिए प्राथमिक एजेंसियां हैं; केंद्र सरकार नीतिगत मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण, तकनीकी दिशा-निर्देश जारी करके, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता देकर, आवधिक निगरानी करके राज्य के कार्यों में सहयोग करती है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, गृह मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार एवं कार्मिक मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के बीच अंतर-क्षेत्रीय तालमेल को सुगम बनाती है।

इन सभी उपायों का उद्देश्य तनाव का निवारण करना और उसे कम करना, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख और सहायता सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से बचाना और जीवन अवधि के दौरान गरिमा, सहनशीलता और कल्याण को बढ़ावा देना है।

*****